

सिंह टोलिया
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
नैनीताल
पत्र प्राप्ति दि० 12/11/2021

106

डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी	
र. न.	2452
प. स.	16/11/2021
दिनांक	

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4

संख्या: /XXX(4)/2021-01(7)/2021
देहरादून, दिनांक: 08 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के कार्यों के सुचारु संचालन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 984/XXX(4)/2011, दिनांक 29.09.2011 द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का निम्नानुसार पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | — अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 4. निदेशक, डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी | — सदस्य/सचिव |
| 5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 6. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | — सदस्य |

(अरविन्द सिंह हयांकी)
सचिव

संख्या: 567/XXX(4)/2021-01(7)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, उत्तराखण्ड।
- 4— निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की।
- 5— निदेशक, डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
- 6— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8— गार्ड फाईल।

① संयुक्त निदेशक (प्र०)
② गार्ड फाईल

निदेशक
दिनांक 12-11-21

P.A.
12/11/21

आज्ञा से,
(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव